

सहायक आयुक्त, वृत सिरोही।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स शीतलप्रसाद अम्बालाल, आबूरोड।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई

उप राजकीय अभिभाषक

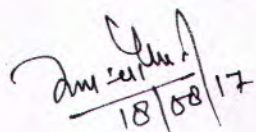
.....राजस्व विभाग की ओर से.

अनुपस्थित

दिनांक : 18.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 2/आरवेट/ सिरोही/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सिरोही (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत कायम मांग राशियों में से कर व ब्याज को यथावत रखते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति 1,06,804/- को अपास्त किया है।
2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स परफेटी वानमेल्ले इण्डिया लि० से शुगर कैण्डी के रूप में जो माल क्रय कर पुनः शुगर कैण्डी के रूप में ही विक्रय किया गया था। इस पर विक्रेता फर्म द्वारा 5 प्रतिशत की कर दर से कर संग्रहण किया गया एवं प्रत्यर्थी द्वारा उसी अनुसार 5 प्रतिशत की कर दर से ही कर वसूल कर पुनः विक्रय किया गया एवं बिल जारी किए गए। सशक्त अधिकारी द्वारा विक्रय किए गए माल को 5 प्रतिशत कर योग्य माल को शुगर कैण्डी नहीं मानकर माल में कुछ अन्य अवयव के रूप में कच्चा माल उपयोग करने से उन्हें कन्फेक्शनरी मानते हुए एवं माल ब्राण्डेड होने से ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (Branded Confectionery) पर अधिनियम की कर अनुसूची V के अनुसार 14 प्रतिशत की कर दर से करारोपण किया गया एवं प्रभावी कर दर 14 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत कर दर से विक्रय को करवंचना मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया।


18/08/17



लगातार.....2.

3. निर्धारण अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा उक्त बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है। राज्य सरकार द्वारा जारी वेट दर अनुसूची 1 से 6 से करमुक्त एवं करयोग्य वस्तुओं की कर दर अधिसूचित की गई। जिसके अनुसार ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर 12.5 प्रतिशत की कर दर देय है, जबकि व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर जमा करवाया गया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कम कर जमा करवाया गया। वेट अनुसूची-पंचम के तहत सामान्य कर दर 14 प्रतिशत से करयोग्य होना मानते हुये व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा 9 प्रतिशत अन्तर कर संग्रहित/जमा कराया जाना नहीं पाया, जिसके फलस्वरूप निर्धारण अधिकारी ने 'Prosecutor should not be judge' की अवधारणा के तहत पत्रावली को स्थानान्तरित कर दी।
4. निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली, उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रोडक्ट्स का अवलोकन किया जिसमें पाया कि व्यवहारी द्वारा 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहित किया है, जबकि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (Branded Confectionery) अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 154 से पृथक की गयी है, जिसके फलस्वरूप यह अनुसूची V के तहत आलौच्य अवधि में 14 प्रतिशत से कर योग्य माल होने के कारण व्यवहारी के द्वारा गलत निर्वचन किया गया तथा बिक्री विवरणियों में कर दर की गलत घोषणा करके 9 प्रतिशत से राजकोष में कम कर अदा करते हुए परिवर्जन व अपवंचन किया जाना प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को अधिनियम की धारा 26 व 55 के तहत नोटिस जारी किये एवं प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुये कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई है।
5. उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
6. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैनमेली इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पर सामान्य कर दर निर्धारित की है एवं आरोपित कर एवं ब्याज को बहाल किया गया। व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कान्फेक्शनरी (Branded Confectionery) पर

Am. Kumar
18/08/17

Al

लगातार.....3.

सामान्य कर दर 14 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहित कर साशय करापवंचना की है। इसलिये धारा 61 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति विधि सम्मत थी जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा विधि विरुद्ध रूप से अपास्त कर दिया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को बहाल किया जाये तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त करने के आदेश को निरस्त कर अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित।
8. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।
9. प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म द्वारा मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा. लि. के रूप में शुगर कैण्डी के रूप में माल क्रय करके उस माल को शुगर कैण्डी के रूप में ही विक्रय किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शुगर कैण्डी को उसमें शुगर व ग्लूकोस के अलावा अन्य मिश्रण जैसे coloring, additives and binding agent मिश्रित होने से शुगर कैण्डी नहीं मानकर कन्फेक्शनरी माना गया। इस आधार पर अनुसूची IV की प्रविष्टि 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित उत्पाद की बिक्री होने पर व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल Sugar Candy को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (Branded Confectionery) माना गया तथा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की कोई प्रविष्टि अनुसूची IV में नहीं होने से अनुसूची V के अनुसार सामान्य कर दर से करारोपण किया गया।
10. अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अभिमत प्रकट किया कि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा परफेटी वानमेले इण्डिया लि. बनाम सीटीओ, आई, द्वितीय, जयपुर (2011) 31 टीयूडी पेज 17 निर्णय दिनांक 26.07.2011 के मामले में किये गये निर्णय में शुगर कैण्डी के रूप में विक्रय किये गये माल को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (Branded Confectionery) मानकर उस पर अधिनियम की अनुसूची V के अनुसार सामान्य कर दर से करारोपण को यथावत रखा गया तथा मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा. लि. बनाम सीटीओ स्पेशल सर्किल अजमेर (2013) 30 टीयूडी पेज 13 निर्णय दिनांक 07.03.2013 भी यही अभिनिर्धारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा परफेटी वानमेले व मैसर्स पारले इंडिया के मामलों में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णयों से वर्तमान प्रकरण के आच्छादित होने पर विक्रय किये गये माल शुगर कैण्डी को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी होना अभिनिर्धारित कर अधिनियम की अनुसूची V के तहत सामान्य कर दर से करारोपण को यथावत् रखा गया तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश द्वारा आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी।

Am. Kumar
18/08/17

245

लगातार.....4.

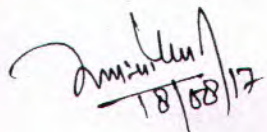
11. कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये माल को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (Branded Confectionery) मानते हुए अधिनियम की अनुसूची V के अनुसार 14 प्रतिशत की कर दर से करारोपण किया एवं प्रभावी कर दर 14 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की कर दर से विक्रय को करापवंचना मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा करारोपण एवं ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी किन्तु धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। वर्तमान अपील राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को अपास्त करने के संबंध में मुख्य रूप से यह अभिमत प्रकट किया कि वर्तमान प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत परफेटी वानमेले इण्डिया लि. बनाम सीटीओ, आई, द्वितीय, जयपुर (2011) 31 टीयूडी पेज 17 निर्णय दिनांक 26.07.2011 एवं मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा. लि. बनाम सीटीओ स्पेशल सर्किल अजमेर (2013) 36 टीयूडी पेज 12 निर्णय दिनांक 07.03.2013 से आच्छादित है तथा उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत में भी धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया गया।

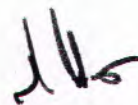
12. यहां यह उल्लेखनीय है कि शास्ति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख यहां किया जाना समीचीन है जो निम्नानुसार है:-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

13. अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.02.2013 में यह अभिमत प्रकट किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी पर कर दर में अन्तर मत के अनुसार जो करारोपण किया गया है उसे करापवंचना नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि व्यवहारी के बिक्री के समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज है तथा व्यवहारी द्वारा प्रविष्टियां छिपायी नहीं गयी है एवं विवरण पत्रों में भी समस्त क्रय-विक्रय दर्शाया गया है तथा राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय परफेटी वानमेले इण्डिया लि. बनाम सीटीओ, आई, द्वितीय, जयपुर (2011) 31 टीयूडी पेज 17 निर्णय दिनांक 26.07.2011 एवं मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्रा. लि. बनाम सीटीओ स्पेशल सर्किल अजमेर (2013) 36 टीयूडी पेज 12 निर्णय दिनांक 07.03.2013 में भी इसी बिन्दु पर धारा 61 की शास्ति को

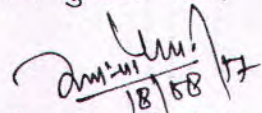
लगातार.....5.


18/08/17



अपास्त किया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा वस्तुओं की वर्गीकरण के संबंध में कर की दर को चुनौती दी गयी है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वस्तु का भिन्न वर्गीकरण मानकर कारारोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा समस्त क्रय-विक्रय अपने विवरण प्रपत्रों में दर्शाया जाने के संबंध में कोई विवाद नहीं है और यह भी निविर्वादित है कि व्यवहारी ने किसी भी संव्यवहार को छिपाया नहीं है। इसी आधार पर ही अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की सांशय कर चोरी की मंशा नहीं मानी गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत STR/Refresh मैसर्स पेरफेटी वानमेले इण्डिया प्रा. लि. बनाम उपायुक्त (अपील्स) निर्णय दिनांक 17.02.2017 में भी यह विवाद था कि व्यवहारी का प्रकरण अनुसूची IV की किसी विशिष्ट प्रविष्टि में आयेगा या अनुसूची V की अवशिष्ट (Resduary) प्रविष्टि में आयेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे एक Debatable Issue की श्रेणी में माना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर शास्ति को अपास्त करने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गयी। वर्तमान प्रकरण के तथ्य भी उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों के समान हैं। वर्तमान प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति को अपास्त किया गया। इस प्रकार शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी के शास्ति को अपास्त करने के उक्त निष्कर्ष से यह खण्डपीठ सहमत है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का निर्णय दिनांक 22.03.2013 पुष्ट किये जाने योग्य है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.03.2013 की पुष्टि की जाती है।
15. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष